

मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग

मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 16 मार्च, 2016

क्रमांक: एफ 05-01/2016/तीस : माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई-दिल्ली में दायर याचिका क्रमांक (CIVIL) 35970/2015 में जैन संस्कृति रक्षा मंच विरुद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य प्रकरण पारित निर्णय दिनांक 22.01.2015 के परिपेक्ष्य में मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग शासन की ओर से श्री सतीश चन्द्र चतुर्वेदी, मुख्य रसानज्ञ, पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल (म.प्र.) को प्रकरण का अधिकारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

म.प्र. शासन व अन्य में मध्यप्रदेश राज्य के लिये तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनाओं पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने, आवेदन करने और उप संजात होने के लिये नियुक्त करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग, नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नांकित कार्य करेगा :-

1. प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरंत ऐसी जांच करेगा जैसी की आवश्यकता हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं को पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जायेगी।
2. समस्त सुसंगत फाईल, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनायें तथा आदेश एकत्रित करेगा।
3. वाद पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और एक जैसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिससे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचाने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता के संपर्क करेगा।
5. शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित/कथन/उत्तर तैयार करवायेगा।
6. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-
 - (क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
 - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
 - (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
 - (घ) मामले के विनिश्चिकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां, उसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिए।

निरंतर

7. मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना होगा। मामले के प्रक्रम और प्रगति में नियत किये गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।
8. जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया म.प्र. राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है, तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
9. अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय/अशासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिये इस विभाग को भेजेगा।
10. यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।
11. जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी, तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जावे।
12. प्रभारी अधिकारी, मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रगटित/छिपी हुई नहीं रह जाएं।
13. प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति/अभिप्रति प्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
14. प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी वाद के प्रक्रम में कार्यवाही की गई है। अतएव वह उस आदेश की प्रति, जैसा कि वह पारित किया जाए, विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशांसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

ok

(राजेश प्रसाद मिश्र)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग

निरंतर


क्रमांक : एफ 05-01/2016/तीस

भोपाल, दिनांक 16 मार्च, 2016

प्रतिलिपि :-

- 1 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
- 2 शासकीय अधिवक्ता, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली
- 3 आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखगार एवं संग्रहालय संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
- 4 जिलाध्यक्ष, दमोह, मध्यप्रदेश।
- 5 महाधिवक्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली।
- 6 श्री सतीश चन्द्र चतुर्वेदी, मुख्य रसानज्ञ, पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल (म.प्र.) - प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थित प्रमाण पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिए सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उनके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित। मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग को साथ ही विधि विभाग को सदैव ही भेजी जानी चाहिए। वाद पर प्रस्तुत की प्रत्युत्तर/जवाबदावे की एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाए। कृपया याचिका की प्रति इस विभाग को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 7 शासकीय अधिवक्ता/प्लीडर/अभिभाषक, जबलपुर (म.प्र.)

o/c


16/3/2016

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग

क्र. 65 उत्तर/सं./2016
दिनांक 3/2/2016

पंजी. क्रमांक 313/2016/30

दिनांक 03/02/2016

संस्कृति विभाग

म. प्र. शासन, मंत्रालय भोपाल

SECTION IV-A

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CIVIL APPELLATE JURISDICTION

PETITION FOR SPECIAL LEAVE TO APPEAL (CIVIL) NO. 35970 OF 2015
WITH PRAYER FOR INTERIM RELIEF

Jain Sankriti Raksha Manch

...Petitioner

-Versus-

State of Madhya Pradesh & Ors.

...Respondents

To,

1. State of Madhya Pradesh
Through its Chief Secretary
Vallabh Bhawan, Bhopal
2. State of Madhya Pradesh
Through its Principal Secretary
Department of Sanskriti, Govt. Of M.P.
Vallabh Bhawan, Bhopal
3. Chief Conservator, Department of Forest
Govt. Of M.P., Bhopal
4. Shri Digamber Jain Atishay Kshetra,
Kundalpur Public Trust, Kundalpur
Through its President Santosh Singhvi
R/o Kundalpur, State of Madhya Pradesh
5. Archeological Survey of India
Bhopal Circle, Bhopal, M.P.
Through its Superintending Archaeologist
6. Mohammad Azam Khan
S/o Shri Asgar Ali Khan
R/o Opposite Polytechnic College
Near Jabalpur Naka, Damoh, M.P.

...Respondents

WHEREAS the Petition for Special Leave to Appeal with prayer for Interim Relief above mentioned (Copy enclosed) filed in the Registry by Mr. Balbir Singh Gupta, Advocate on behalf of the Petitioner above named was listed for hearing before this Court on 15.01.2016 when the Court was pleased to pass the following Order:

"Heard Mr. Paras Kuhad, learned Senior counsel appearing for the petitioner.

Application for exemption from filing official translation is allowed.

Issue notice.

Dasti service, in addition, is permitted.

Liberty to serve the Standing Counsel for the State of Madhya Pradesh is also granted."

D. Nr 39284/15

NOW, THEREFORE, TAKE NOTICE that the above petition with prayer for Relief will be posted for hearing along with before this court in due course. You may enter appearance before this Court either in Person or through an Advocate on record of this Court duly appointed by you in that behalf within 30 days from the date of service of notice. You may thereafter show cause to the Court limited to the grounds as quoted above on the day that may subsequently be specified as to why the Special Leave and Interim Relief as prayed for be not granted and the resultant appeal be allowed.

You may file your affidavit in opposition to the petitions as provided under Rule 14 of Order XXI, S.C.R. 2013 (as amended) within 30 days from the date of receipt of notice or not later than 2 weeks before the date appointed for hearing, whichever be earlier, but shall do so only by setting out the grounds in opposition to the questions of law or grounds set out in the SLP and may produce such pleadings and documents filed before the Court/Tribunal against whose order the SLP is filed and shall also set out the grounds for granting interim order or for vacating interim order if already granted.

TAKE FURTHER NOTICE THAT if you fail to enter appearance as aforesaid, no further notice shall be given to you even after the grant of Special Leave for hearing of the resultant Appeal and the matter above mentioned shall be disposed of in your absence.

Dated this the 18th day of January, 2016.

Sd/-
ASSISTANT REGISTRAR

Copy to:-

- (1) Mr. Balbir Singh Gupta, Advocate, (57, L/C, S/C)
(2) Mr. C. D. Mishra, Adv (A-394, Defence colony, ND-24)
Counsel for Petitioner/Petitioner-in-person is required to file Affidavit of valuation within seven days alongwith the required Court fee under provisions of SCR, 2013.

Sd/-
ASSISTANT REGISTRAR

LEGAL AID

(1) Legal service of an advocate is provided by the Supreme Court Legal Services Committee and the Supreme Court Middle Income Group Legal Aid Society to eligible litigants.

For further information, please contact the Secretary, Supreme Court Legal Services Committee or the Member Secretary, Supreme Court Middle Income Group Legal Aid Society, 107-108, Lawyers' Chambers, R.K. Jain Block-Near Post Office, Supreme Court Compound, Tilak Marg, New Delhi-110 201 (Tel. No. 011-23388313, 23388597).

MEDIATION

(2) The facility of amicable settlement of disputes by trained mediators in cases pending in the Supreme Court is now available in the Supreme Court.

For further information, please contact the Co-ordinator, Supreme Court Mediation Centre, 109 Lawyers' Chambers, R.K. Jain Block- Near Post Office, Supreme Court Compound, Tilak Marg, New Delhi- 110 201 (Tel. No. 011 - 23071432)."

PKA/DEL/1640

IN THE SUPREME COURT OF INDIA

CIVIL APPELLATE JURISDICTION

SPECIAL LEAVE PETITION (CIVIL) NO. 35970 OF 2015

(AGAINST THE FINAL JUDGMENT AND ORDER DATED 26.08.2015 PASSED BY THE
HIGH COURT OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR IN WRIT
APPEAL NO. 534 OF 2015).

ALONGWITH PRAYER FOR INTERIM RELIEF

BETWEEN:

JAIN SANKRITI RAKSHA MANCH

..... PETITIONER

VERSUS

STATE OF MADHYA PRADESH & ORS.

...RESPONDENTS

WITH

I.A.NO.

OF 2015

APPLICATION FOR EXEMPTION FROM FILING OFFICIAL ENGLISH
TRANSLATION

PAPER BOOK

(KINDLY SEE INDEX INSIDE)

ADVOCATE FOR THE PETITIONER:

D. Nr 30284/15

BALBIR SINGH Gupta